सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राम प्रवेश राय, स०वि०स० श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री छोटे लाल राय, स०वि०स० श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स० श्री विनय बिहारी, स०वि०स०	''पिछले वर्ष उत्तर बिहार में आई भीषण बाढ़ के समय गोपालगंज जिलान्तर्गत सारण तटबंध और इससे जुड़ी हुई भैंसही पुरैना-छड़की ग्राम देवापुर और पुरैना के साथ-साथ बैकुण्ठपुर के पकहां में बुरी तरह ध्वस्त हो गई थी जबकि सारण तटबंध और इससे जुड़ी हुई छड़कियों को बचाने हेतु करोड़ों रुपये की सरकारी राशि बाढ़ निरोधक कार्य में लगाई गई थी । देवापुर और पुरैना में तटबंध टूट जाने पर बाँध को दुबारा बाँधने के नाम पर करोड़ों रुपये की राशि वर्ष 2020 में बंदरबांट की गई । इस तरह से प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के कारण जहां एक तरफ सरकारी राजस्व की क्षति हुई वहीं जान-माल पर भी खतरा उपस्थित हुआ । अभी भी वहां भय का वातावरण बना हुआ है । अत: सारण तटबंध के उपर्युक्त अंश में प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के मामले की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	जल संसाधन

2. श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०
श्री राम विशुन सिंह, स०वि०स०
श्री शम्भू नाथ यादव, स०वि०स०

"भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर प्रखंड स्थित कृषि विश्वविद्यालय, सबौर संचालित है । उक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 से आज तक कृषि वैज्ञानिक एवं एसोसिएट प्राध्यापकों की रिक्त पद पर अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की गयी है साथ ही प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसा के बिना ही तीन से चार बार सेवानिवृत वैज्ञानिकों और प्राध्यापकों की सेवा विस्तार किया गया है । विश्वविद्यालय में दैनिक मजदूरों को भी सही तरीके से कार्य नहीं दिये जाने से मजदूरों के सामने भुखमरी का आलम है ।

अत: उक्त वर्णित विश्वविद्यालय के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों की जांच कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2021- 1331 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2021- 1331 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

18/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।